

25.1.22

दिल्ली के कलेक्टर उद्योग
वास्ते गान आदेश अ नुसार
दिनांक 4.2.22 को देखा है।

पुनश्च उक्त आदेशिका सहान
से विन्वी गयी है। वासी के
अधिकारों ने निवेदन किया
याही काउ को आगे नहीं चलाया
नहीं चाहिए और नोट-उसके
खारिज करवाना चाहिए है।
अधिकारी के अधिकारों को नोट
सहान नहीं है। अतः सावा
याही ^{नोट-पुस्तक} खारिज किया जाना
है।

पत्रावली क्रम संख्या 10/2022
दिल्ली सरकार है।